


11/07.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी अंतिम अवसर दिया गया था। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्राया की वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी अधिवक्ता को वास्ते तलबी लगातार अवसर दिये गये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

